प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-87/2026 दिनांक 28.03.2026)
दिनांक-28.03.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले गैंग के दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर के थाना पटहेरवा क्षेत्रान्तर्गत वादी मुकदमा/चालक राम ऋषि पुत्र भूरा राम, निवासी कुसुम्बी, थाना डिंग, जिला सिरसा, राज्य हरियाणा द्वारा सूचना दिया गया कि वह अपने ट्रक पर चारा काटने वाली मशीन लेकर हरियाणा से नेपाल जा रहे थे, दिनांक 26.03.2026 को शाम लगभग 04:00 बजे उनके मोबाइल नंबर पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपने आपको जीएसटी अधिकारी बताकर कहा गया कि गाड़ी पर लदा माल फर्जी है तथा उसके कागजात दिखाने को कहा गया। उन्हें डरा-धमकाकर गाड़ी रोकने के लिए कहा गया तथा उनकी गाड़ी को एनएच-28 पर फाजिलनगर से आगे एसआर पेट्रोल पंप के पास जबरदस्ती रुकवा लिया गया। इसके बाद जीएसटी अधिकारी बनकर उनसे एक लाख अस्सी हजार रूपये की मांग की गई। उक्त के सन्दर्भ में थाना पटहेरवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जयन्त यादव के नेतृत्व में पुलिस लगाई गयी थी जिसके क्रम में आज दिनांक 28.03.2026 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा थाना पटहेरवा क्षेत्र से घटना में सम्मिलित दो अभियुक्तों 1. गोविंद शर्मा पुत्र राजेश कुमार शर्मा, निवासी गाजीपुर, थाना तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर 2. संदीप यादव पुत्र रमायन यादव, निवासी लवकुश पश्चिम पट्टी, थाना तुर्कपट्टी, हाल मुकाम गाजीपुर बैरियर यादव टोला (नाना गंगा यादव के घर), थाना तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल तथा एक चार पहिया वाहन बरामद किया गया है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस टीमें लगायी गयीं हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

Edit with WPS Office

अपराध करने का तरीका:-
पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया कि हमलोगों का एक संगठित गिरोह है। इसमें अन्य दो सदस्य गोविंद मद्धेशिया एवं बृजेश भारती उर्फ प्रिंस, निवासीगण गाजीपुर, थाना तमकुहीराज, कुशीगनर भी शामिल है। हमलोग गिरोह बनाकर एनएच-28 पर चलने वाले बाहरी/गैर-प्रांत के ट्रक, डीसीएम एवं ट्रेलर को चिन्हित करते हैं, चलती गाड़ियों के फोटो खींचकर उन पर लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल करके स्वयं को जीएसटी अधिकारी बताकर उनके बिल एवं जीएसटी संबंधी कागजात चेक करने के नाम पर वाहन स्वामी/माल स्वामी से अवैध धन की वसूली करते हैं। जब कोई व्यक्ति इनका विरोध करता है, तो उसे डरा-धमकाकर गंभीर चोट या मृत्यु का भय दिखाकर अवैध फिरौती की मांग करते हैं।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 63/2026 धारा 308(5)/111(2)/318(4) बीएनएस व 207 एम0वी0एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त
1- गोविन्द शर्मा पुत्र राजेश कुमार शर्मा निवासी गाजीपुर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2- संदीप यादव पुत्र रमायन यादव निवासी लवकुश पश्चिमपट्टी थाना तुर्कपट्टी व हाल मुकाम गाजीपुर बैरियर यादव टोला (नाना गंगा यादव के घर) थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी
1- एक मोटरसाइकिल टीवीएस अपाची(UP57BP119)
2- एक चार पहिया वाहन स्वीफ्ट डीजायर (UP32RH2113)
3- एक अदद फाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-
1. थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना पटहेरवा कुशीनगर
2. उ0नि0 राम प्रवेश सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगरकुशीनगर
4. उ0नि0 अनुराग यादव थाना पटहेरवा जनपद
5. उ0नि0 श्रवण कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
6. हे0का0 राम प्रवेश यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
7. हे0का0 शंखधर राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
8. का0 अजय यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

9. का0 अमित कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट आदि के मामले में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2026 को थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मुं0अं0सं0 123/2026 धारा 87,137(2),65(1)BNS व 3 / 4 पाक्सो एक्ट थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार वांछित-
समसुद्दीन अंसारी पुत्र यूसुफ अंसारी साकिन सिरसिया न0 3 थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. प्र0नि0 श्री संजय दूबे थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 विजय सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
3. का0 श्रवण कुमार राव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
4. का0 विजय कुमार सिंह थाना को0 हाटा जनपद कशीनगर

👉थाना कसया पुलिस की त्वरित कार्रवाई-

👉काली माता मंदिर में पिण्डी तोड़ने वाले 4 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया गया-

आज दिनांक 28.03.2026 को आवेदक श्री रमाशंकर कुशवाहा सा0 खेसारी गिदहा पोस्ट परसौनी खुर्द थाना-कसया जनपद कुशीनगर द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम खेसारी गिदहा थाना कसया जनपद कुशीनगर स्थित काली माता मंदिर मे स्थापित 07 पिण्डियो मे से 01 पिण्डी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़ दिया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कसया पर मु0अ0सं0 189/2026 धारा 298 बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा कुछ ही घण्टो में घटना में सम्मिलित 04 नफर अभियुक्तों क्रमशः 1. विनोद चौहान पुत्र लक्ष्मन उम्र

Edit with WPS Office

35 वर्ष मथौली थाना कसया जिला कुशीनगर, 2. सन्नी गुप्ता पुत्र मुन्ना गुप्ता उम्र 23 वर्ष, 3. सूरज पुत्र दिनेश प्रसाद गौङ उम्र 21 वर्ष, 4.रोहित गौड़ पुत्र संजय गौड़ उम्र 22 वर्ष साकिनान- खेसारी गिदहा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने पूछ-ताछ में स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा ही माता काली मंदिर स्थित पिण्डी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 189/2026 धारा 298 बीएनएस थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1. विनोद चौहान पुत्र लक्ष्मन उम्र 35 वर्ष मथौली थाना कसया जिला कुशीनगर,
2. सन्नी गुप्ता पुत्र मुन्ना गुप्ता उम्र 23 वर्ष, साकिन- खेसारी गिदहा थाना कसया जनपद कुशीनगर
3. सूरज पुत्र दिनेश प्रसाद गौङ उम्र 21 वर्ष, साकिन- खेसारी गिदहा थाना कसया जनपद कुशीनगर
4. रोहित गौड़ पुत्र संजय गौड़ उम्र 22 वर्ष साकिन- खेसारी गिदहा थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1- प्र0नि0 श्री आशुतोष सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
2- उ0नि0 उदयभान मिश्रा थाना कसया जनपद कुशीनगर
3- हे0का0 रत्नाकर सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
4- का0 प्रदीप यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
5- का0 नरेन्द्र वर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर
6- का0 मनोज कुमार थाना कसया जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 49 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-57 वाहन

Edit with WPS Office

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-44, व्यक्ति-125
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(07)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-56)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office